

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान— बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री भैरु राम यादव, प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मूण्डरू(सीकर) को वित्त विभाग आदेश क्रमांक एफ.6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक 25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत एवं राजस्थान सरकार के मेडिकल एव हैल्थ विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र संख्या 634 Date: 04-08-2003 की अभिशंषा पर आवेदन दिनांक 27.05.19 से इनके मूल वेतन का 6%(प्रतिशत) जो रू0 600/- (छःसौ रूपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है ।

श्री भैरु राम यादव, प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मूण्डरू(सीकर) को (आकस्मिक अवकाश, राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) अवकाश काल, कार्यभार सम्भालने हेतु मिलने वाले समय एवं निलम्बन के समय विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्थों/ए-2-7/विकलांग भत्ता/2017

दिनांक: 02-07-19

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, सीकर।
2. प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मूण्डरू(सीकर)।
3. श्री भैरु राम यादव, प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मूण्डरू(सीकर) मूल विकलांग भत्ता संलग्न
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड हेतु
5. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर